कार्यालयः– जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय (राज.)

क्रमांक / भण्डार / 2025–26 / 154 दिनांकः– 27.02.2026

–: सीमित निविदा सूचना :–

वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर महानगर द्वितीय क्रम–01 से 4 के केन्द्रीयकृत अभिलेखागार, के उपयोग हेतु रैक्स, की खरीद करने बाबत अधिकृत / पंजीकृत विक्रेताओं / डीलर्स / निर्माताओ आदि से निविदाये आमन्त्रित की जाती है। इच्छुक फर्म / संस्था / फर्नीचर आईटम की आपूर्ति करना चाहती है वह दिनांक **09/03/2026** तक दोपहर 01.00 बजे तक निविदा प्रपत्र प्राप्त कर अपनी दरें इस कार्यालय के लेखा शाखा के कमरा नम्बर 628 में समय दोपहर 03.00 पी.एम. तक प्रस्तुत कर सकती है। कोटेशन दिनांक **09/03/2026** को समय सांय 04.30 पी.एम. पर खोली जावेगी।

अध्यक्ष,
क्रय समिति एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय,
क्रम–8, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक : 157 दिनांक : 27.02.2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय।
2. श्रीमान प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय लेखा शाखा, जयपुर महानगर–द्वितीय।
3. सिस्टम ऑफिसर जयपुर महानगर द्वितीय को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा सूचना व निविदा प्रपत्र विभागीय बेबसाइट पर अपलोड करे।
4. नोटिस बोर्ड / आदेश पत्रावली / सम्बन्धित पत्रावली।

अध्यक्ष,
क्रय समिति एवं
अपर जिला एवं सेशन न्यायालय,
क्रम–8, जयपुर महानगर–द्वितीय

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर–द्वितीय

क्रमांक / भण्डार / 2025–26 / दिनांक:–

सीमित निविदा प्रारूप

1. फर्म का नाम व पता :–

2. कार्य का नाम :– लोहे की रैक क्रय हेतु निविदा

3. सीमित निविदा का क्रमांक व दिनांक :–

4. अनुमानित लागत :– 1.96 लाख

5. प्रस्तुत दरों का विवरण :–

क्र. सं.	नाम आईटम मय विवरण	अनुमानित मात्रा	प्रस्तुत दर प्रति नग	कुल लागत प्रति नग
1.	Slotted angel rack, 20 gage, size 99"x36"x16.5", 8 shelf, painted	25		
2.	SGST			
3.	CGST			
4.	कुल लागत प्रति नग (कर सहित) अंको में			
	कुल लागत प्रति नग (कर सहित) शब्दों में			
5.	कुल लागत			

हस्ताक्षर निविदादाता मय सील

–: सीमित निविदा हेतु नियम एवं शर्तें :–

1. अमानता राशि केवल बैंक ड्राफट अथवा पे आर्डर के रूप में स्वीकार होगी जो जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर–द्वितीय के पक्ष में देय होगी। चैक या अन्य प्रकार से अमानता राशि स्वीकार नहीं की जायेगी। बिना अमानता राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। एस एस आई यूनिटो/रूग्ण ईकाईयो को नियमानुसार निर्धारित सीमा तक छूट देय होगी। अमानत राशि निविदा के अनुसार ही प्रस्तुत करनी है। सभी आईटम्स की दरे भरने पर पूर्ण राशि रूपये 4,000/–अमानत का डी.डी/बैंकर चैक संलग्न करे।
2. निर्धारित समय के बाद प्राप्त निविदाओं को निरस्त कर दिया जायेगा तथा इस बाबत क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
3. निविदायें मुहरबन्द लिफाफे में प्रस्तुत की जाये, दरों पर कांट छांट अथवा ओवर राईटिंग न हो तथा दरें साफ स्याही से **शब्दों** में एवं अंको में अकिंत की जाये एव निविदादाता द्वारा प्रत्येक त्रुटि (यदि कोई हो) पर दिनांक सहित हस्ताक्षर किये जायें।
4. निविदा दरों में समस्त चुंगी किराया–भाड़ा या अन्य कोई राशि जो भुगतान योग्य है, को जोडकर एफ.ओ.आर दरें ही दी जायेगी। एफ.ओ.आर दरें वाणिज्यिक न्यायालय, जयपुर महानगर–द्वितीय हेतु रहेगी।
5. निविदा के तहत गुणवत्ता एवं दरों के आधार पर फर्नीचर संबंधी आईटम एक से अधिक फर्मों के स्वीकार किये जा सकते है। संपूर्ण आईटम किसी एक फर्म से क्रय किये जाने की बाध्यता नहीं रहेगी।
6. सफल निविदादाता/दाताओ को सप्लाई आदेश की 5% राशि प्रतिभूति के रूप मे जमा करवानी होगी, जिसमें अमानता राशि का समायोजन किया जा सकेगा। एस एस आई ईकाइयों/रूग्ण ईकाईयों को नियमानुसार सीमा तक छूट देय होगी।
7. सफल निविदादाता फर्म/फर्मों को नियमानुसार एक अनुबन्ध पत्र का निष्पादन स्वयं के खर्चे पर संपादित करना होगा।
8. निर्धारित स्पेशिफिकेशन के अनुसार रैक्स तैयार की जायेगी। प्रत्येक रैक्स में एक साइड में तीन खडी पत्तियों से एवं दोनों साइड में सिंगल पत्ती से कवर किया जायेगी, ताकि सामग्री गिरे नहीं। सामग्री का नमूना क्रय समिति से अनुमोदित करवाने के पश्चात ही सामग्री तैयार कर निर्धारित समय में आपूर्ति की जायेगी।
9. फर्म को जारी सप्लाई आदेश के अनुसार निर्धारित अवधि में एक साथ ही पूर्ण माल सप्लाई करना होगा। विलम्ब के लिए राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के अनुसार दण्ड से आरोपित किया जा सकता है।
10. निविदा के तहत जयपुर मुख्यालय से बाहर के निविदाकारो को फर्नीचर के नमूने स्वयं की लागत पर निरीक्षण हेतु सूचित किये जाने पर क्रय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे।
11. दरों पर यदि किसी प्रकार का कर/प्रभार हो तो उसका उल्लेख किया जावेगा। बिना उल्लेख किये प्रस्तुत दरें समस्त कर/प्रभार सहित मानी जावेगी।
12. कोई भाडा लोडिंग–अनलोडिंग, पैंकिंग आदि का चार्जेज देय नही होगा।
13. आपूर्तिकर्ता फर्म अधिनियम के तहत पंजीकृत फर्म होनी चाहिए एवं वैट/जीएसटी आदि के नवीनतम क्लीयंरेस प्रमाण पत्र/सी.ए. द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न होने चाहिये। पेन कार्ड एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन की प्रति संलग्न होनी चाहिए।
14. अनुमोदित दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 की समाप्ति तक मान्य होगी।
15. दरें स्वीकार नहीं होने पर अमानत राशि नियमानुसार लौटा दी जावेगी।
16. आपूर्ति आदेश के तहत प्राप्त सामान सही एवं निविदा मापदण्डों के अनुसार होने पर फर्म को नियमानुसार भुगतान कर दिया जावेगा।
17. आपूर्ति की जा रही सामग्री निर्धारित मापदण्डो के अनुरूप नहीं होने पर ऐसी सामग्री को आपूर्तिकर्ता की जोखिम पर रदद कर दिया जायेगा, जिसे आपूर्तिकर्ता अपने खर्चे पर बदल कर आपूर्ति करेगा एवं रदद की गई सामग्री वापस प्राप्त करेगा।
18. वारण्टी अवधि का स्पष्ट उल्लेख किया जावेगा। आपूर्ति किये गये सामान में वारण्टी अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का डिफेक्ट पाये जाने पर फर्म का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा।

19. निविदा प्रपत्र मे दी गई सामग्री की मात्रा के स्थान पर वास्तविक आपूर्ति हेतु आ नियमानुसार सीमा तक कम या अधिक हो सकता है।
20. उक्त शर्तो के अतिरिक्त अन्य सभी शर्ते राज0 लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 201 एवं अधिनियम 2012 तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशो के अनुसार मान्य होगी।

21. आपूर्तिकर्ता फर्म के सप्लाई किए जा रहे सामान का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जायेगा।
22. कोई भी विवाद होने की स्थिति में जिला एवं सेशन न्यायाधीश जयपुर महानगर–द्वितीय का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र में शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर मय सील करने होंगे।
24. संबंधित फर्मो के फर्नीचर के नमूनों का क्रय समिति द्वारा निरीक्षण किये जाने के बाद ही दरों का अनुमोदन किया जायेगा।
25. सामग्री की आपूर्ति अवधि 07 दिवस रहेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील